रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-03012024-251114
CG-HR-E-03012024-251114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945
No. 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 15 दिसम्बर, 2023

सं. जेईआरसी:- 01/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(1) और धारा 181(2) (य ठ) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पिछले प्रकाशन के बाद, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एतद द्वारा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है और समय-समय पर इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां संशोधन किया गया है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ:

(i) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (छठा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप द्वीप समूह और पुडुचेरी पर लागू होंगे।

(iii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 1 में संशोधन

(i) उप-खंड (iii) में दादरा और नगर हवेली के बाद 'कोमा' को 'और' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल विनियम के विनियम 2 में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 2 में निम्नलिखित परिभाषाएँ जोड़ी/ संशोधित की जाएंगी:-

(i) **उप-खंड 2 (i) (ग)** में - दादरा और नगर हवेली के बाद 'कोमा' को 'और' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-खंड 2 में **(i) (झ)** में 'विनियमों का अर्थ है ये विनियम' को 'इन विनियमों का अर्थ है संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और समय-समय पर किए गए संशोधन' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-खंड 2 में **(i) (ञ)** "सचिव" का अर्थ है, आयोग का सचिव और इसमें आयोग का कोई अन्य अधिकारी शामिल है, जिसे सचिव की शक्ति और कार्य सौंपे जा सकते हैं या जो समय-समय पर आयोग द्वारा इस तरह कार्य करने के लिए अधिकृत है।

4. मूल विनियम के विनियम 2 में उप-खंड 'ट' के बाद निम्नलिखित परिभाषाएँ जोड़ी जाएंगी: -

i. "(ठ) **"अधिनिर्णयन'** का अर्थ आयोग को प्रस्तुत याचिकाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है।"

ii. "(ड) **'स्वीकृति"** का अर्थ किसी याचिका पर विचार या सुनवाई का चरण है जहां आयोग के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए इसकी स्थिरता का निर्णय आयोग के अधिकार क्षेत्र, याचिका दायर करने की सीमा और आयोग द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और इसमें याचिका में उठाए गए मुद्दों पर योग्यता के आधार पर कोई निर्णय शामिल नहीं होता है।

iii. (ढ) **'परामर्शदाता'** का अर्थ है और इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ शामिल है, जो आयोग के रोजगार में नहीं है, जिन्हें अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को सलाह या सहायता प्रदान करने के लिए परामर्शदाता विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है।

iv. (ण) **'परामर्शदाता विनियम"** का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2009, या उसके बाद के अधिनियम।

v. (त) **'उपभोक्ता प्रतिनिधि'** का अर्थ कोई व्यक्ति या पेशेवर निकाय या कोई गैर-सरकारी संगठन है जिसे आयोग द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के मामले को प्रस्तुत करने और आयोग की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

vi. (थ) **'डिजिटल हस्ताक्षर'** का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (त) या उसके बाद के किसी अधिनियम के तहत परिभाषित डिजिटल हस्ताक्षर है।

vii. (द) **'हस्तक्षेपकर्ता'** का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आयोग ने इस बात से संतुष्ट होने पर कि याचिका के नतीजे में उस व्यक्ति की व्यक्तिगत हिस्सेदारी है, उस व्यक्ति को उक्त याचिका की कार्यवाही में, किसी पक्षकार के रूप में शामिल हुए बिना, भाग लेने की अनुमति दी है।

viii. (ध) **'सदस्य'** का तात्पर्य इन विनियमों के तहत कार्य संचालन के उद्देश्य से आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से है।

ix. (न) **'प्रोफार्मा प्रतिवादी'** का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी याचिका में प्रतिवादी के रूप में रखा गया है जिसके लिए कोई राहत नहीं मांगी गई है, लेकिन जिसकी उपस्थिति याचिका में उठाए गए मुद्दे के प्रभावी और पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक मानी जाती है।

x. (प) **'प्रतिवादी'** का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे याचिका में विपरीत पक्ष के रूप में रखा गया है और जिसके लिए राहत मांगी गई है।

5. कार्य संचालन विनियम, 2009 के विनियम 2 (ii) को एतद द्वारा निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया गया है:-

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ और जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम के तहत दिया गया है।

6. मूल विनियम के विनियम 2(ii) के बाद एक नया उप-खंड जोड़ा जाएगा: -

(iii) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ संहिता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, परिसीमा अधिनियम, 1961, भारतीय संविदा अधिनियम, 1878, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार निर्धारित होंगे।

7. मूल विनियम, 2009 के विनियम 3 में संशोधन:-

(i) उप-खंड (i) में **'पर'** शब्द के बाद **'कोई'** शब्द जोड़ा गया है और 'गुड़गांव' शब्द को 'गुरुग्राम' से प्रतिस्थापित किया गया है।

(ii) निम्नलिखित प्रावधान उप-खंड (iii) में जोड़े जाएंगे: -

बशर्ते कि कार्य की अत्यावश्यकताओं में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, सदस्य यह निर्देश दे सकता है कि आयोग का कार्यालय गैर-कार्य दिवस पर खुला रहेगा।

(iii) उप खंड (iv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:-

जहां इन विनियमों द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत दिनों की एक विशेष संख्या निर्धारित की जाती है, या किसी कार्य को करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, तो प्रारंभिक दिन जिससे उक्त अवधि की गणना की जानी है, को शामिल नहीं किया जाएगा, और यदि अंतिम दिन उस दिन समाप्त होता है जिस दिन आयोग का कार्यालय उस दिन या उसके किसी भाग के लिए बंद रहता है, तो वह दिन और कोई भी आगामी दिन, जिस दिन आयोग उस दिन या उसके भाग के लिए बंद रहता है, को शामिल नहीं किया जाएगा।

8. नए विनियम 4 (क) को जोड़ना

विनियम 4 के बाद नया विनियम 4 क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

4 क आयोग की कार्यकारी शक्तियाँ

(i) अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (4) के अनुसार, अध्यक्ष राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी होगा।

(ii) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो आयोग का सदस्य (विधि) अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक या, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।

9. नए विनियम 10 क को जोड़ना

विनियम 10 के बाद नया विनियम 10 क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

10 क. आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार - वकालतनामा के माध्यम से वकील

i. वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व की जा रही पार्टी फॉर्म-1 के अनुसार वकालतनामा दाखिल करेगी।

ii. प्रत्येक वकालतनामा पर पार्टी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया जाएगा और इसमें पार्टी की मुहर, हस्ताक्षर करने वाली पार्टी का नाम और जिसकी ओर से उसने हस्ताक्षर किए हैं, शामिल होगा।

iii. जबकि वकालतनामा किसी एजेंट या पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित किया जाता है, ऐसे प्राधिकार के लेख-पत्र या दस्तावेज़ की प्रति, वकालतनामे के साथ संलग्न की जाएगी।

iv. जहां कई व्यक्ति एक ही वकालतनामे पर हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें पार्टियों के ज्ञापन में उल्लिखित उनके क्रमांक और नाम के अनुसार कोष्ठक में अपने क्रमांक और नाम का उल्लेख करते हुए, अपने हस्ताक्षर क्रमानुसार करने चाहिए।

v. जहां एक ही वकालतनामा एक से अधिक अधिवक्ताओं के पक्ष में निष्पादित किया गया है, वहां इन नियमों के अनुसार सभी अधिवक्ताओं के नाम और विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।

vi. वकालतनामे में केस नंबर और उसका वाद शीर्षक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

vii. वकालतनामे में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का नाम, नामांकन संख्या, पूरा आधिकारिक पता, ईमेल, फोन नंबर और फैक्स नंबर शामिल होगा।

viii. किसी पक्ष द्वारा विधिवत निष्पादित वकालतनामा दाखिल करने पर वकील, जो पार्टी के नाम और पदनाम का खुलासा करता है, उस मामले में कार्रवाई करने, उस पार्टी के लिए पैरवी करने और की जाने वाली सभी कार्यवाहियों का संचालन करने तथा मुकदमा चलाने का हकदार होगा, और ऐसे मामले, या उससे जुड़े किसी आवेदन या उसमें पारित किसी आदेश के संबंध में ऐसे सभी अन्य कदम उठाएगा जैसा कि उसे दायर किए गए वकालतनामा के संदर्भ में विशेष रूप से अधिकृत किया गया है।

ix. किसी अधिवक्ता को अधिवक्ता और पार्टी दोनों की सहमति से आयोग को संबोधित एक पत्र द्वारा तथा वकील और पार्टी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित करके बर्खास्त किया जा सकता है।

10. मूल विनियम के विनियम 12 के उप-खंड (iv) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे:-

(v) ज्ञापन में/ प्रत्येक पार्टी का उल्लेख करते हुए पार्टियों का पूरा नाम और ई-मेल पता तथा फैक्स नंबर/ व्हाट्सएप नंबर आदि सहित अन्य विवरण प्रदान किए जाएंगे। पार्टियों के नाम क्रम संख्या अनुसार होंगे तथा प्रत्येक पार्टी के नाम और विवरण के लिए एक अलग पंक्ति आवंटित की जाएगी।

(vi) **"कानून का प्रावधान" -** 'प्रत्येक याचिका या आवेदन में अभियोग शीर्षक के बाद, आयोग के अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा जिसके तहत इसे बनाया जाना है।'

(vii) **नॉन-फाइलिंग खंड -** 'प्रत्येक याचिका में लिखा जाएगा कि संबंधित विषय पर ऐसी कोई कार्यवाही पहले आयोग या किसी अन्य फोरम के समक्ष दायर नहीं की गई है। यह भी कि वर्तमान में संबंधित विषय प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से आयोग या किसी अन्य फोरम में किसी लंबित/ पिछले मुकदमे का विषय है, आयोग को दायर शपथपत्र में उस आशय का एक उपयुक्त पृष्ठांकन किया जाएगा।'

11. मूल विनियम के विनियम 14 के उप-खंड (iv) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा:-

(v) 'याचिका के साथ संलग्न प्रत्येक शपथपत्र में स्पष्ट रूप से और अलग से यह बताया जाएगा कि क्या संबंधित विषय पर ऐसी कोई कार्यवाही पहले आयोग के समक्ष या किसी अन्य मंच पर दायर नहीं की गई है और यह कि वर्तमान याचिका में संबंधित विषय आयोग या किसी अन्य मंच के समक्ष किसी भी दलील/ पिछली मुकदमेबाजी का विषय नहीं है। यदि हां, तो शपथपत्र में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।

12. नए विनियम 14 क को जोड़ना

विनियम 14 के बाद नया विनियम 14 क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

14 क. अंतर्वर्ती आवेदन

(1) प्रत्येक अंतर्वर्ती आवेदन उस याचिका या मामले में जोड़ा जाएगा जिसमें वह दायर किया गया है।

(2) निम्नलिखित राहत प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए जा सकते हैं;

(क) अंतरिम राहत के लिए;

(ख) याचिका या प्रार्थना में संशोधन के लिए;

(ग) याचिका में एक नई पार्टी को शामिल करने के लिए;

(घ) याचिका में किसी पार्टी को हटाने और/या बदलने के लिए;

(ड.) देरी की माफी के लिए, जहां भी लागू हो;

(च) एकपक्षीय रूप से निस्तारित याचिका की बहाली के लिए;

(छ) अतिरिक्त दस्तावेज़ या प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति के लिए;

(ज) मूल दस्तावेज़ या अनुवादित प्रतियां या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां, जहां भी लागू हो, दाखिल करने से छूट के लिए;

(झ) एकपक्षीय आदेश को वापस लेने के लिए;

(ञ) फीस माफी के लिए;

(ट) याचिका वापस लेने के लिए;

(ठ) याचिका में पार्टी का नाम बदलने के लिए;

(ड) याचिका की शीघ्र/ तत्काल सुनवाई के लिए;

(ढ) कोई अन्य मामला जो इन विनियमों के अंतर्गत नहीं आता है लेकिन विद्युत अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(3) इन विनियमों में या तत्समय लागू किसी कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, कोई अंतर्वर्ती आवेदन:

(क) इसमें केवल कोई प्रार्थना या एक ही तरह की अनेक वैकल्पिक प्रार्थनाएं शामिल होगी;

(ख) इसमें कोई विवादपूर्ण बात शामिल नहीं होगी;

(ग) एक शपथ-पत्र और घोषणा द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें उन आधारों और तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा जिन पर आवेदन आधारित है;

(घ) शपथ-पत्र और उसके साथ दायर अन्य दस्तावेजों एवं सामग्रियों के साथ अंतरिम आवेदन की एक अग्रिम प्रति विपक्षी पार्टी या उसके वकील को दी जाएगी तथा ऐसी सेवा और गैर-आवेदकों की संख्या का लिखित प्रमाण अंतर्वर्ती आवेदन के साथ दायर किया जाएगा;

(4) अंतर्वर्ती आवेदनों को उन तारीखों पर सूचीबद्ध किया जाएगा जब मामले आयोग के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे या जैसा आयोग द्वारा निर्देशित किया जाएगा। पार्टियों को सुनने के बाद आयोग अंतरिम आवेदनों पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे उचित समझे जाएंगे।

13. विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है: -

13. परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुप्रयोग

यह देखा गया है कि लाइसेंसधारी और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों के निपटारे और मध्यस्थता मामलों आदि के संबंध में कार्य संचालन विनियमों में कोई समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सीमा अधिनियम, 1963 को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

अधिनियम या नियमों या विनियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए मामलों में किसी भी पार्टी द्वारा आयोग के समक्ष कोई भी याचिका दायर करने में सीमा अवधि तय करते समय, आयोग को परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

14. मूल विनियम के विनियम 25 के उप-खंड (x) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे:-

(xi) आयोग की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने की तारीख को संबंधित पार्टियों पर आयोग के आदेशों की पर्याप्त तामील माना जाएगा और आयोग द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश(शों) के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि उस तारीख से गणना किए जाने वाले अगले दिन से शुरू होगी जब आदेश(शों) को वास्तव में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

(xii) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश(शों) को किसी भी पार्टी द्वारा अपील दायर करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश(शों) की सत्य प्रतियां माना जाएगा।

एस. डी. शर्मा, सचिव (प्रभारी), जेईआरसी
[विज्ञापन-III/4/असा./669/2023-24]

फॉर्म 1
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
गुरूग्राम
………की याचिका/आवेदन सं………..

<u>वकालतनामा</u>

नाम और पता ....याचिकाकर्ता

बनाम

नाम और पता...प्रतिवादी

मैं...............................उपर्युक्त याचिका/आवेदन में याचिकाकर्ता सं...................../प्रतिवादी सं......................................के लिए एतद द्वारा श्री/ कुमारी/ श्रीमती... अधिवक्ता(ओं) को उपर्युक्त याचिका/आवेदन में मेरे/हमारे ओर से उपस्थित होने, दलील देने एवं कार्रवाई करने तथा इस संबंध में की जाने वाली सभी कार्यवाहियां संचालित करने एवं मुकदमा

चलाने तथा दस्तावेजों को वापस करने के लिए आवेदन देने, समझौता करने और उक्त कार्यवाही में मुझे/हमें देय कोई भी धनराशि निकालने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान:

पार्टी के हस्ताक्षर

दिनांक:

मेरी उपस्थिति में निष्पादित किया गया। "स्वीकृत"

*दिनांक सहित हस्ताक्षर *दिनांक सहित

हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम) (नाम और पदनाम)

(याचिकाकर्ता/आवेदक/प्रतिवादी के लिए
अधिवक्ता का पता।

पूरा पता................................
पंजीकृत ई-मेल आईडी..............................
पंजीकृत फ़ोन नं. ....
फ़ैक्स नं................................

*जब पार्टी वकालतनामा की भाषा से अनभिज्ञ हो या सीधा-सादा या अशिक्षित हो तो निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए:-

वकालतनामा की सामग्री को वास्तव में और स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाया गया/ वकालतनामा निष्पादित करने वाली पार्टी को ज्ञात..............भाषा में अनुवादित किया गया और उसने इसे समझा लिया था।

दिनांक सहित हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)
NOTIFICATION

Gurugram, the 15th December, 2023

No. JERC:-01/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 (1) and Section 181 (2) (zl) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 1st , 2nd , 3rd , 4th , and 5th amendment from time to time.

1. Short Title, extent and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business) (6th Amendment) Regulations, 2023.

(ii) These regulations shall extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep Islands and Puducherry.

(iii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Regulation 1 of the principal Regulation

(i) In sub- clause (iii) 'coma' after Dadra and Nagar Haveli shall be substituted by the word 'and'.

3. Amendment in Regulation 2 of the principal Regulation

The following definitions shall be added/amended in Regulation 2 of the Principal Regulation: -

(i) In sub-**clause 2 (i) (c)** - '**coma'** after Dadra and Nagar Haveli shall be substituted by the word 'and'.

(ii) In sub-clause **2 (i) (i)-**'Regulations means these Regulations' shall be substituted by 'these Regulations means the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009 and amendments carried out from time to time'.

(iii) **In sub-clause 2(i) (j)-"**Secretary means, the Secretary of the Commission and includes any other officer of the Commission to whom the power and functions of the Secretary may be delegated or assigned or who is authorised to act as such by the Commission from time to time.

4. The following definitions shall be added after sub-clause 'k' in Regulation 2 of the principal Regulation: -

i. "(**l**) "**Adjudication'** means the process of arriving at decisions on the Petitions

submitted to the Commission."

ii. "(**m**) **'Admission**" means the stage of consideration or hearing of a Petition where its maintainability for further proceedings before the Commission is decided having due regard to the jurisdiction of the Commission, limitation in filing the Petition and such other factors as considered relevant by the Commission, and does not include any decision on merit on the issues raised in the Petition."

iii. **(n) 'Consultant"** means and includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission who may be engaged as such in accordance with Consultant Regulations for rendering advice or assistance to the Commission in discharge of its functions under the Act.

iv. **(o) 'Consultants Regulations**" means the Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2009, as amended from time to time or subsequent enactments thereof.

v. **(p) 'Consumer Representative'** means an individual or a professional body or a non-governmental organization who is permitted by the Commission to present the case of electricity consumers and participate in the proceedings of the Commission.

vi. **(q) 'Digital Signature'** means the digital signature as defined under clause (p) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 or any subsequent enactment thereof.

vii. **(r) 'Intervener'** means a person who has not been arrayed as a party in a Petition but the Commission on being satisfied that the person has a personal stake in the outcome of the Petition, has allowed the person to participate in the proceedings of the said Petition, without being arrayed as a party.

viii. **(s) 'Member"** means and includes the Chairperson and Members of the Commission for the purpose of Conduct of Business under these Regulations.

ix. **(t) 'Proforma Respondent'** means a person who has been arrayed as a Respondent in a Petition against whom no relief has been sought, but whose presence is considered necessary for effective and complete adjudication of the issue(s) raised in the Petition.

x. **(u) 'Respondent'** means a person who has been arrayed as an opposite party in a Petition and against whom relief(s) have been sought.

5. Regulation 2 (ii) of Conduct of Business Regulations,2009 is hereby substituted with the following: -

(ii) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or any other Regulations of the Commission shall have the same meaning assigned to them under the Act or any other Regulations of the Commission.

6. A new sub clause shall be added after Regulation 2(ii) of the principal regulation: -

(iii) All other expressions used in these Regulations shall have the meanings ascribed to them by the Code, Arbitration and Conciliation Act, 1996, Limitation Act, 1961, Indian Contract Act, 1878, Information Technologies Act, 2000 and General Clauses Act, 1897, as amended from time to time.

7. Amendment in Regulation 3 of the principal Regulation, 2009: -

(i) In sub-clause (i) the word '**any'** is added after the word '**at'** and the word 'Gurgaon" is substituted by "Gurugram'.

(ii) The following provisions shall be added to sub-clause (iii):-

Provided that in the exigencies of work, the Chairperson or in his absence, the Member may direct that the office of the Commission shall remain open on a non-working day".

(iii) Sub clause (iv) is substituted with the following: -

Where a particular number of days are prescribed by these Regulations or by or under any other law, or is fixed by the Commission for doing any act, the starting day from which the said period is to be reckoned shall be excluded, and if the last day expired on a day when the office of the Commission is closed for the day or part thereof, that day and any succeeding day(s) on which the Commission remains closed for the day or part thereof, shall be excluded.

8. Insertion of a new Regulation 4 A

After Regulation 4 new Regulation 4 A shall be added as under: -

4 A Executive Powers of the Commission

(i) In accordance with sub-section (4) of Section 84 of the Act, the Chairperson shall be the Chief Executive of the State Commission.

(ii) If the post of Chairperson is vacant, the Member (Law) of the Commission shall discharge the functions of the Chairperson, until the Chairperson joins or, as the case may be.

9. Insertion of a new Regulation 10 A

After Regulation 10 new Regulation 10 A shall be added as under: -

10 A. Authority to represent before the Commission – Advocate through Vakalatnama

i. A party being represented through an Advocate shall file a Vakalatnama as per Form-1.

ii. Every Vakalatnama shall be duly signed by the party and contain the seal of the party, the name of the party signing and on whose behalf he has signed.

iii. Whereas a Vakalatnama is executed by an agent or authorized representative of a party, copy of the instrument or document of such authorization, shall accompany the Vakalatnama.

iv. Where several persons sign a single Vakalatnama, they must put their signatures seriatim, mentioning their serial number and name in the brackets corresponding to their serial number and name mentioned in the memo of parties.

v. Where a single Vakalatnama has been executed in favour of more than one Advocate, names and particulars of all the Advocates must be provided therein in accordance with these regulations.

vi. The case number and its cause title must be clearly mentioned in the Vakalatnama.

vii. Vakalatnama shall contain the name, enrolment number, complete official address, email, phone number and fax number of the Advocate(s) representing the party.

viii. An Advocate on his filing the Vakalatnama, duly executed by a party that discloses name and designation of the party, shall be entitled to act, to plead for that party in the matter, and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect of such matter, or any application connected with the same or any order passed therein and take all such other steps as he may be specifically authorized in terms by the Vakalatnama filed.

ix. An Advocate may be discharged by the consent of both the Advocate and the party by a letter addressed to the Commission and signed by both the Advocate and the Party.

10. The following sub-clauses shall be added after sub clause (iv) of Regulation 12 of the principal Regulation: -

(v) In Memo/Parties Full name and other particulars including email address and fax number/WhatsApp number etc. describing each party shall be provided. The names of the parties shall bear consecutive numbers and a separate line shall be allotted to the name and description of each party.

(vi) "**Provision of Law**" - 'Every Petition or Application shall state, after the cause title, the provisions of the Act or Rules or Regulations of the Commission under which it purports to be made'.

(vii) **Non-filing clause**- 'Every petition shall state that no such proceedings in the same subject matter have been previously filed before the Commission or any other forum. To the extent the subject matter at present is also directly and substantially the subject matter of any pending/ previous litigation in the

Commission or any other forum, a suitable endorsement to that effect shall be made in the Affidavit filed to the Commission.'

11. The following sub clause shall be added after sub-clause (iv) of Regulation 14 of principal Regulation: -

(v) 'Every Affidavit accompanying Petition shall clearly and separately state that whether no such proceedings on the same subject matter have been previously filed before the Commission or in any other forum and that the subject matter in the present Petition is also not, or, is, substantially the subject matter of any pleading/ previous litigation before the Commission or any other forum. If so, then provide the details for the same in the affidavit.

12. Insertion of a new Regulation 14 A

After Regulation 14 new Regulation 14 A shall be added as under:

14 A. Interlocutory Application

(1) Every Interlocutory Application shall be instituted in the petition or matter in which it is filed.

(2) An Interlocutory Application may be filed to seek any of the following reliefs;

(a) For interim relief;

(b) For amendment of Petition or prayer;

(c) For impleadment of a new party in the Petition;

(d) For deletion and/or substitution of a party in the Petition;

(e) For condonation of delay in filing a petition, wherever applicable;

(f) For restoration of a Petition disposed of ex parte;

(g) For a leave to file additional documents or submissions;

(h) For exemption from filing original document or translated copies or certified copies of orders, wherever applicable;

(i) For recall of an ex-parte order;

(j) For waiver of fees;

(k) For withdrawal of petition;

(l) For change of name of party in the Petition;

(m) For early/urgent hearing of Petition

(n) Any other matter not covered under these Regulations but within the Jurisdiction of the Commission under Electricity Act, Rules and Regulations made thereunder.

(3) Except where otherwise provided in these Regulations or by any law for the time being in force, an interlocutory application:

(a) Shall contain only one prayer or one series of alternative prayers of the same kind;

(b) Shall not contain any argumentative matter;

(c) Shall be supported by an Affidavit and declaration, stating clearly the grounds and the facts on which the application is based;

(d) An advance copy of the interlocutory application together with the Affidavit and other documents and materials filed along therewith shall be served upon the Opposite Party or its Advocate and written proof of such service and number of non-applicants shall be filed along with the interlocutory application;

(4) The interlocutory applications shall be listed on the dates the matters are listed before the Commission or as may be directed by the Commission. The Commission shall pass such orders on the interim applications as may be considered appropriate after hearing the parties.

13. Regulation 13 is substituted as under: -

13. Application of Limitation Act, 1963

It is noticed that there is no time limit mentioned in the Conduct of Business Regulations regarding settlement of disputes between the licensee & generating companies and arbitration matters etc. keeping the above in view application of limitation Act, 1963 shall be inserted as under: -

While deciding the limitation period in filing any petition before the Commission by any party in cases not expressly provided in the Act or Rules or Regulations, the Commission shall be guided by the provisions of the Limitation Act, 1963.

14.. **The following sub clauses shall be added after sub-clause (x) of Regulation 25 of principal Regulation**: -

(xi) The date of uploading of the order on the website of the Commission shall be deemed to be a sufficient service of orders of the Commission upon the concerned parties and the period of limitation for filing of the Appeal against any such order(s) passed by the Commission shall commence from the next day calculated from the date when the order(s) was actually uploaded on the website of the Commission.

(xii) The order(s) of the Commission uploaded on the website of the Commission shall be deemed to be true copies of such order(s) for the purposes of filing of the Appeal by any party.

S. D. SHARMA, Secy. (I/c), JERC

[ADVT.-III/4/Exty./669/2023-24]

Form 1

Joint Electricity Regulatory Commission
(for the State of Goa & Union Territories)
Gurugram
Petition/Application No. ……. of……….
Vakalatnama

Name & Address…………………. …. Petitioners(s)

Vs

Name & Address…………………... …. Respondents(s)

I…………………..Petitioner No………./Respondent No………………………………….in the above petition/application do hereby appoint Shri/Kum./Smt. ………………………………Advocate(s) to appear, plead and act for me/us in the above petition/application and to conduct and prosecute all proceedings that may be taken in respect thereof and applications for return of documents, enter into compromise and to draw any money payable to me/us in the said proceeding.

Place:

Signature of the Party

Date:

Executed in my presence. “Accepted”

*Signature with date *Signature with date

(Name and Designation) (Name and Designation)

(Address for service on the Counsel for
Petitioner/Applicant/Respondent.

Full Address ……………………..
Registered Email Id……………..
Registered Phone No……………
Fax No…………………………….

*The following certification to be given when the party is unacquainted with the language of the Vakalatnama or is bling or illiterate: -

The contents of the Vakalatnama were truly and audibly read over/translated into ……..language known to the party executing the Vakalatnama and he/she to have understood the same.

Signature with date
(Name and Designation)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.03 21:15:43 +05'30'